—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—142/2020

उनवान

1. रामकिशन पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कैलाश पुत्र श्रवण,
2. ग्याना पत्नी अमरा,
3. गोविन्दा पुत्र श्रवण,
4. जीवण पुत्र हंगामा,
5. नर्बदा पुत्री अमरा,
6. कमला पत्नी प्रभु,
7. शंकर पुत्र प्रभु,
8. भागचन्द पुत्र हंगामा,
9. मुन्ना पुत्र श्रवण,
10. रामदेव पुत्र श्रवण,
11. रामलाल पुत्र सेवाराम,
12. श्योदान पुत्र घासीराम,
13. सीता पुत्री अमरा जाति जाट नि. मोतीपुरा ,नसीराबाद
14. मैनेजर आई सी आई सी आई बैंक नसीराबाद,
15. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 14 अनुपस्थित, 15 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 20/8/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोतीपुरा में वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
406	9—8—10		1.64
		[illegible]	0.22
		[illegible]	0.30

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:30:26 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

ग्राम कानपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 406 के हाल खसरा नम्बर 988, 977 व 1037/1319 की आराजी वादी की खातेदारी भूमि है। उक्त आराजी का राजस्व मानचित्र सन् 1971–1972 में सही अंकित था। वादीगण के खेत उत्तर दिशा में प्रतिवादीगण के खातेदारी वंर्किग खसरा नम्बर 428 रकबा 2–1–10 व 429 रकबा 3–18–0 पूर्व नक्शा में आयताकार रूप में सही दर्शित है। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में वादी के खेत पुराने खसरा नम्बर 406 की दक्षिण दिशा में रास्ते के रूप में खाली स्थान बनाते हुये प्रतिवादी के हाल खसरा नम्बर 1037 को त्रिभुज के रूप में पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा में वादी के खेत में गलत अंकन कर दिया। प्रतिवादीगण के खातेदारी हाल खसरा नम्बर 1037, 1077 व 1078 को वादी के खेत में अंकन कर रकबा कम कर दिया है। हाल राजस्व मानचित्र में उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण वादीगण का हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम चला गया है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को बेचान करने पर आमादा है। व वादी की खातेदारी आराजी को हडपने के लिये आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र पूर्व अनुसार दुरूस्त कर प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पांबंद किया जावे

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 14प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि भू प्रबन्ध विभाग ने मौके की स्थिति अनुसार सर्वे कर नकशा तैयार किया है।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरूस्ती का अधिकारी है ?

—— वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। हाल खसरा नम्बर 977, 978 व 1037/1319 वादी की खातेदारी का है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 406 है। हाल खसरा नम्बर 1037, 1078 व 1039 प्रतिवादीगण की खातेदारी के हैं उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 428 व 429 व 437 है। वादीगण का कथन है कि वादीगण के खेत उत्तर दिशा में प्रतिवादीगण के खातेदारी वंर्किग खसरा नम्बर 428 रकबा 2–1–10 व 429 रकबा 3–18–0 पूर्व नक्शा में आयताकार रूप में सही दर्शित है। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में वादी के खेत पुराने खसरा नम्बर 406 की दक्षिण दिशा में रास्ते के रूप में खाली स्थान बनाते हुये प्रतिवादी के हाल खसरा नम्बर 1037 को त्रिभुज के रूप में पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा में वादी के खेत में गलत अंकन कर दिया। प्रतिवादीगण के खातेदारी हाल खसरा नम्बर 1037, 1077 व 1078 को वादी के खेत में अंकन कर रकबा कम कर दिया है। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर वाद का खण्डन नही किया हैं राज. पैरोकार ने भी अपने जवाब में वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा के वंर्किग व हाल राजस्व मानचित्र के अवलोकन व तुलना करने पर आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। हाल राजस्व मानचित्र में खसरा [illegible] 988 व 1077, 1078 व 1037 के बीच में रासते के रूप में खाली [illegible] आराजी मुतनाजा के राजस्व मानचित्र को दुरूस्त करने से खातेदारी अधिकार [illegible] पर कोई परिवर्तन नही होना है। राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:30:26 IST
Reason: SelfAttested

——3

पडेगा। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है।

उक्तानुसार वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 1077, 1078, 1037, 1039, 1037/1319, 988, 977 व 1037/1319 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:30:26 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामकिशन बनाम कैलाश

दावा बाबत :– 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 140/2020
पेश करने की दिनांक – 09.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 1077, 1078, 1037, 1039, 1037/1319, 988, 977 व 1037/1319 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20 माह 8 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालंतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:30:26 IST
Reason: SelfAttested